न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –21/2012 जिला सीकर

1. खादी समिति जरिये व्यवस्थापक एवं मंत्री श्री शरत चंद चौहान, निवासी – चौमू–रींगस रोड, जिला जयपुर , (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार लोक जरिये एस.डी.ओ., नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
2. ग्रम पंचायत–किशोरपरुा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
3. श्रीमती नानची पत्नी स्र्वीय श्री महादेव, जाति बलाई
4. ठण्डू पुत्र स्वर्गीय श्री महादेव, जाति बलाई निवासीयान ग्रम पंचायत किशोरपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
5. नागरमल पुत्र महादेव, जाति बलाई, निवासी गाम पंचायत किशोरपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
6. मन्त्री बैराठ, तहसील खादी ग्रम उद्योग समिति, पता शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर
दिनांक 18.1.2012

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सुनिल कुमार शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनांक– 27.11.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 18.1.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम किशोरपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 75/841 का खातेदार महादेव बलाई था जिसकी भूमि में से 12 बिस्वा भूमि का नामांतरकरण संख्या 21 ग्रम पंचायत किशोरपुरा द्वारा दिनांक 27.8.1967 को व्यवस्थापक किशोरपुरा खादी समिति के नाम जरिये बिचौती स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर विवादित भूमि के खातेदार महादेव की विधवा नानची रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत की , जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.1.2012 द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदार महादेव पुत्र टीकू बलाई अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि 300/– रूपये में अनरजिस्टर्ड बैनामे के आधार पर गैर अनुसूचित जाति अथवा संस्था को हस्तान्तरण होकर नामांतरकरण ग्रम पंचायत किशोरपुरा द्वारा तस्दीक किया जाना, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति के कृषक की खातेदारी भूमि का सवर्ण जाति या किसी संस्था अथवा किसी समिति के नाम से भूमि का हस्तान्तरण

अमान्य होना एवं धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि का बैनामा 100/– से अधिक का होने व अपंजीकृत होने पर भी नामांतरकरण विधि के प्रतिकूल होने पर खारिज किये जाने योग्य मानते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण खारिज किया गया एवं नामांतरकरण के पश्चात् विक्रीत बैनामा प्रभाव शून्य रखते हुये तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिये गये कि निर्णयानुसार विवादित नामांतरकरण खारिज कर रेस्पोंडेन्ट्स के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करें ।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय दिनांक 18.1.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.1.2012 अपास्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 21 दिनांक 27.8.1967 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 75/841 के खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 नानची के पति स्वर्गीय महादेव प्रसाद थे जिन्होंने पूर्ण होश हवास में उक्त भूमि में से 12 बिस्वा भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 25.9.66 को खादी समिति किशोरपुरा के पक्ष में तहरीर कराया गया था जिसकी अनुपालना में प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा बाद जॉच स्वीकार किया गया है, जिसकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या नानची व ठण्डू को भी थी । रेस्पोंडेन्ट नानची द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 45 वर्ष के निराशाजनक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की थी । विवादित भूमि पर संस्था का पुराना कुआ व एक मन्दिर की मंढी बनी हुई है तथा भूमि पर संस्था का कब्जा है । उनका कहना था कि विवादित भूमि का खातेदार स्व. महादेव प्रसाद स्वयं खादी समिति संस्था में बहैसियत सदस्य था एवं विवादित भूमि का बेचान एवं नामांतरकरण भी खादी समिति के पक्ष में जरिये व्यवस्थापक किया गया, जो अनुसूचित जाति के सदस्य थे । महादेव प्रसाद के जीवनकाल में विवादित भूमि के विक्रय के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की । प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य विचाराधीन सिविल वाद उनवानी नानची व अन्य बनाम शरत चंद चौहान में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) नीमकाथाना जिला सीकर ने आदेश दिनांक 13.11.2010 पारित कर पक्षकारान को विवादित सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना व नजरन्दाज करते हुये रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की निराशाजनक रूप से मियाद बाहर अपील अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व प्रश्नगत नामांतरकरण बहाल रखा जावे । उनके द्वारा आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 19 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 नानची के पति स्व. महादेव विवादित भूमि खसरा नं. 75/841 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार थे जिनके फौत होने पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट 3 से 5 भूमि पर काबिज हो गये , लेकिन मृतक खातेदार महादेव के जीवनकाल में सरपंच स्व. देवी सिंह ने भूमि खसरा नम्बर 75/841 में से 12 बिस्वा भूमि का नामांतरकरण ''व्यवस्थापक खादी समिति'' के नाम स्वीकार कर दिया , जो विधि विरूद्ध था । ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की जॅाच नहीं की तथा आर.आर.डी. 1965 पेज 137 का हवाला देते हुये नामांतरकरण तस्दीक करने में कानूनी त्रुटि की है । खातेदार महादेव के स्वर्गवास के बाद विवादित भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से 5 के नाम हुई । उनका कहना था कि विवादित भूमि का खातेदार महादेव अनुसूचित जाति का सदस्य था ओर अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी भूमि में से 12 बिस्वा भूमि का नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम स्वीकार करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था । महादेव ने विवादित भूमि में से 12 बिस्वा भूमि अपीलान्ट को कभी भी विक्रय नहीं की थी । पटवारी हल्का ने बिचौती का नामांतरकरण सरपंच से साज करके भरा था जिसे सरपंच ने बिना कोई जॅाच किये विधि के विपरीत तस्दीक किया है, जो कानून की नजर में शुन्य है । उनका कहना था कि अपीलान्ट स्थाई रूप से चौमू में निवास करता है । खादी समिति अथवा खादी उत्पादन सहकारी समिति के द्वारा किशोरपुरा में कोई विधिवत कार्यवाही नहीं की गई ,लेकिन सरपंच ने रेस्पोंडेन्ट्स से रंजिश रखते हुये उन्हें नुकसान पहुॅचाने की गरज से भूमि का नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक किया है । रेस्पोंडेन्ट्स 3 से 5 विवादित भूमि पर अपने कृषि संबंधी सामान रखने हेतु एवं मवेशियों के लिए चारा फूस रखने हेतु कमरे बना रखे हैं । अपीलान्ट विवादित भूमि में से 12 बिस्वा भूमि पर जबरन अतिक्रमण करना चाहता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति के कृषक की खातेदारी भूमि का सवर्ण जाति या किसी संस्था अथवा किसी समिति के नाम से भूमि का हस्तान्तरण अमान्य मानते हुये एवं धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि का बेचान 150/- रूपये से अधिक होने व अपंजीकृत होने पर भी नामांतरकरण विधि के प्रतिकूल होने से रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की अपील स्वीकार करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण खारिज किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार महादेव द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से 12 बिस्वा भूमि का विक्रय अपीलान्ट को किये जाने पर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 21 दिनांक 27.8.1967 को सरपंच , विकास पंचायत किशोरपुरा द्वारा अपीलान्ट के नाम स्वीकार किया गया है, के संबंध में है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से 5 विवादित भूमि के मृतक खातेदार महादेव की विधवा पत्नि एवं पुत्र है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक महादेव की विधवा पत्नि नानची द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ प्रस्तुत अपील अपीलाधीन आदेश से स्वीकार होकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त हुआ है । यहॅा यह भी उल्लेखनिय है कि विवादित भूमि के संबंध में रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 नानची द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) नीमकाथाना, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत वाद में आदेश दिनांक 13.11.2010 द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया गया है कि वे भूमि खसरा नम्बर 75/841/1 ग्रम किशोरपुरा तहसील नीमकाथाना की यथास्थिति बनाये रखेगें तथा अप्रार्थी का काउन्टर टी.आई. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को इस प्रकार पाबन्द किया गया है कि वे भूमि खसरा नम्बर 75/841/2 की यथास्थिति बनाये रखेगें ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि का खातेदार महादेव बलाई (अनुसूचित जाति) का व्यक्ति था । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 21 दिनांक 27.8.1967 को सरपंच विकास पंचायत किशोरपुरा द्वारा खातेदार व व्यवस्थापक खादी समिति द्वारा यह जाहिर करने पर कि खसरा नम्बर 75/841 की 12 बिस्वा 300/– रूपये में लेना खातेदार द्वारा भी स्वीकार करने व कब्जा दे दिये जाने की सूरत में आर.आर.डी. 1965 पेज 137 के आधार पर व्यवस्थापक किशोरपुरा खादी समिति के नाम मंजूर किया गया है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने नानची की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.1.2012 द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदार महादेव पुत्र टीकू बलाई अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि 300/– रूपये में अनरजिस्टर्ड बैनामे के आधार पर गैर अनुसूचित जाति अथवा संस्था को हस्तान्तरण होकर नामांतरकरण ग्रम पंचायत किशोरपुरा द्वारा तस्दीक किया जाना, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति के कृषक की खातेदारी भूमि का सवर्ण जाति या किसी संस्था अथवा किसी समिति के नाम से भूमि का हस्तान्तरण अमान्य होना एवं धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि का बैनामा 100/– से अधिक का होने व अपंजीकृत होने पर भी नामांतरकरण विधि के प्रतिकूल होने पर खारिज किये जाने योग्य मानते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण खारिज किया गया एवं नामांतरकरण के पश्चात् विकीत बैनामा प्रभाव शून्य रखते हुये तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिये गये कि निर्णयानुसार विवादित नामांतरकरण खारिज कर रेस्पोंडेन्ट्स के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करें , उचित एवं विधिसम्यक होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । पक्षकारों के मध्य वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सीकर के समक्ष विचाराधीन होना बताया गया है जिसमें उनके हक हकूकों का निर्धारण होना है । अतः ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना , जिला सीकर दिनांक 18.1.2012 उचित एवं विधिसम्यक हैं तथा उसमें कोई हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर